परियोजना डेटा शीट का यह हिन्दी अनुवाद इसके अंग्रेजी संस्करण दिनांक 22 अप्रैल 2016 पर आधारित है।

ASIAN DEVELOPMENT BANK

एशियाई विकास बैंक

भारत : मांग–पक्ष ऊर्जा कुशलता निवेश परियोजना

परियोजना का नाम	मांग–पक्ष ऊर्जा कुशलता निवेश परियोजना
परियोजना की संख्या	48224-001
देश	भारत
परियोजना की स्थिति	अनुमोदित
परियोजना प्रकार/ सहायता की विधि	तकनीकी सहायता
निधीयन का स्रोत/राशि	**टीए 9081–भारत : मांग–पक्ष ऊर्जा कुशलता निवेश परियोजना** स्वच्छ ऊर्जा निधि – बहु–दानदाता — यूएस डॉलर 1.00 मिलियन वैश्विक पर्यावरण सुविधा — यूएस डॉलर 150,000.00
रणनीतिक कार्यसूची	पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी विकास समावेशी आर्थिक विकास
परिवर्तन के प्रेरक	अभिशासन और क्षमता विकास ज्ञान समाधान भागीदारियां निजी क्षेत्र विकास
सेक्टर/उप–सेक्टर	**ऊर्जा** – ऊर्जा कुशलता और संरक्षण
लैंगिक समानता और मुख्यधारीकरण	कुछ लैंगिक तत्व
विवरण	एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एनर्जी इफीसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) को कई भारतीय राज्यों में मांग–पक्ष ऊर्जा कुशलता निवेशों की सहायता के लिए ऋण प्रदान करेगा, जिसकी गारंटी भारत सरकार द्वारा दी जाएगी। ईईएसएल की स्थापना एक सरकारी–स्वाधिकृत ऊर्जा सेवा कम्पनी (ईएससीओ) के रूप में ऊर्जा कुशलता निवेश सुलभ बनाने के लिए की गई थी, जिसमें कार्य का डिज़ाइन, कार्यान्वयन, निगरानी तथा ऊर्जा कुशलता परियोजनाओं में निवेश कार्य शामिल

	है। एशियाई विकास बैंक के ऋण में ईईएसएल के ईएससीओ व्यवसाय के अंतर्गत उच्च–प्राथमिकता क्षेत्र शामिल होंगे, जिनमें नामतः निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगाः (i) अधिक कुशल प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) म्युनिसिपल स्ट्रीट लाइटिंग जो रिमोट ऑपरेटिंग टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होगी; (ii) इनकैंडीसेन्ट लाइट के स्थान पर एलईडी'ज लगाने द्वारा अधिक कुशल घरेलू प्रकाश व्यवस्था; (iii) अधिक ऊर्जा कुशल कृषि वाटर पम्प्स। ईईएसएल का अनुमान है कि घरेलू प्रकाश व्यवस्था कार्यक्रमों में 80 प्रतिशत ऊर्जा बचत और अधिक कुशल पम्प्स द्वारा 30 प्रतिशत ऊर्जा बचत हासिल की जा सकती है। इस बचत के फलस्वरूप उपभोक्ताओं के बिजली बिल कमतर होंगे, उच्चतम मांग कम होगी तथा वितरण कम्पनियों हेतु वाणिज्यिक हानि में कमी आएगी। परियोजना से ऊर्जा कुशलता उपलब्धियों हेतु सक्षमता और भारत में ऊर्जा बचत साकार करने के लिए ईएससीओ मॉडल की परिमाप्यता भी प्रदर्शित होगी।
परियोजना तर्काधार और देश/क्षेत्रीय रणनीति के साथ संबंध	सरकार ने निर्धारित किया है कि विकास को संकट में डाले बिना ऊर्जा मांग नियंत्रण के लिए वर्द्धित अंत–उपयोग कुशलता बहुत महत्वपूर्ण है। सन् 2015 में, सरकार ने सन् 2030 तक इसकी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा तीव्रता सन् 2005 के स्तर की तुलना में 33 – 35 प्रतिशत तक कम करने का संकल्प किया है। एशियाई विकास बैंक की हाल की एक रिपोर्ट में संकेत मिला है कि सन् 2022 तक 20–25 प्रतिशत ऊर्जा तीव्रता अवमंदन का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के लिए ऊर्जा संबंधी उपायों के लिए लगभग 68 बिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी। परंतु भारत में ऊर्जा कुशलता सक्षमता साकार करने की राह में कई बाधाएं हैंः (i) विनियामक चुनौतियां क्योंकि विद्युत पर सब्सिडी दी जाती है और ऊर्जा कुशलता कार्यक्रम स्वैच्छिक हैं; (ii) संस्थानिक चुनौतियां क्योंकि ऊर्जा कुशलता वृद्धि की सहायतार्थ क्षमता सीमित है; (iii) ऊर्जा कुशलता प्रौद्योगिकियों के लिए अप–फ्रंट लागतों का वित्तपोषण ऊंचा हो सकता है, परंतु उधारदाता के परिप्रेक्ष्य से परियोजना आकार छोटे हैं तथा प्रतिफल का विश्लेषण करना कठिन हो सकता है; (iv) ऊर्जा कुशलता प्रौद्योगिकियों तथा संबद्ध लाभों की सीमित समझ अंतर्ग्रहण को सीमित करती है।
प्रभाव	

परियोजना परिणाम

परिणाम का वर्णन
परिणाम की दिशा में प्रगति

कार्यान्वयन प्रगति

परियोजना आउटपुट्स का विवरण
कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति (आउटपुट्स, गतिविधियां तथा मुद्दे)
भौगोलिक अवस्थिति

पर्यावरण संबंधी तथा सामाजिक मुद्दों का सारांश

पर्यावरण पहलू

अस्वैच्छिक पुनर्वास	
स्वदेशी लोग	

स्टेकहोल्डर संचार, प्रतिभागिता और परामर्श

परियोजना डिजाइन के दौरान	
परियोजना कार्यान्वयन के दौरान	उच्च तीव्रता संचार

व्यवसाय के अवसर

परामर्शी सेवाएं	तकनीकी सहायता के दौर 1 में अंतर्राष्ट्रीय परामर्शिता के 16 व्यक्ति–माह तथा राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के 18 व्यक्ति–माह अपेक्षित होंगे तथा उपपरियोजना तैयार करने के दौरान लिंग और वित्तीय विशेषज्ञ भी सहायता उपलब्ध कराएंगे। तकनीकी सहायता के दौर 1 में भी राष्ट्रीय परामर्शदाताओं के 62 व्यक्ति–माह अपेक्षित होंगे। एशियाई विकास बैंक परियोजना के पूर्व तैयारी कार्य के लिए व्यक्तिगत परामर्शदाता और परियोजना कार्यान्वयन, संचार रणनीति के कार्यान्वयन तथा नए व्यवसाय अवसरों के मूल्यांकन संबंधी सहायता के लिए एक फर्म अनुबंधित करेगा। सभी अनुबंध नियुक्तियां परामर्शदाताओं के उपयोग के संबंध में दिशानिर्देश (2013, समय–समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार की जाएंगी। फर्म की नियुक्ति के लिए, गुणवत्ता– तथा लागत–आधारित परामर्शदाता चयन विधि अपनाई जाएगी। तकनीकी सहायता के तहत परामर्शी सेवाओं के लिए एक–मुश्त भुगतान तथा आउटपुट–आधारित संविदाओं पर विचार किया जाएगा।
अधिप्राप्ति	परियोजना के तहत सभी अधिप्राप्तियां एशियाई विकास बैंक के मार्गदर्शी सिद्धांत (2015, समय–समय पर संशोधितानुसार) के अनुसार निष्पादित की जाएंगी।

जिम्मेदार स्टाफ

जिम्मेदार एडीबी अधिकारी	जीवन आचार्य
जिम्मेदार एडीबी विभाग	दक्षिण एशिया विभाग
जिम्मेदार एडीबी प्रभाग	ऊर्जा प्रभाग, एसएआरडी
निष्पादक अभिकरण	**इनर्जी इफीसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड** ए–13, आईडब्ल्यूएयू बिल्डिंग, चतुर्थ तल, सेक्टर–1, नोएडा–201301, उत्तर प्रदेश

समयसारणी

अवधारणा मंजूरी	-
तथ्य अन्वेषण	-
एमआरएम	-

अनुमोदन	23 फरवरी 2016
अंतिम पुनरीक्षा मिशन	-
अंतिम पीडीएस अद्यतन	26 फरवरी 2016

टीए 9081–आईएनडी

मील के पत्थर

अनुमोदन	हस्ताक्षर की तिथि	प्रभाविता तिथि	अनुमोदन समापन		
			मूल	संशोधित	वास्तविक
23 फरवरी 2016	28 मार्च 2016	28 मार्च 2016	30 अप्रैल 2018	-	-

वित्तपोषण योजना/टीए उपयोगिता

एडीबी	सहवित्तपोषण	प्रतिपक्ष				योग	संचयी संवितरण	
		सरकारी	लाभार्थी	परियोजना प्रायोजक	अन्य		तिथि	राशि
0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	23 फरवरी 2016	0.00

परियोजना डेटा शीट्स (पीडीएस) में परियोजना अथवा कार्यक्रम पर संक्षिप्त जानकारी दी गई हैः क्योंकि पीडीएस प्रगति–में–कार्य होता है, इसके आरंभिक पाठ में कुछ जानकारी सम्मिलित नहीं होना संभव है, परंतु यह उपलब्ध होते ही जोड़ दी जाएगी। प्रस्तावित परियोजनाओं के बारे में जानकारी अनंतिम एवं संकेतात्मक है।

एशियाई विकास बैंक इस परियोजना डेटा शीट (पीडीएस) में दी गई जानकारी इसके उपयोगकर्त्ताओं के लिए, किसी भी प्रकार के आश्वासन रहित संसाधन मात्र के रूप में उपलब्ध कराता है। यद्यपि एशियाई विकास बैंक उच्च गुणवत्ता की विषयवस्तु उपलब्ध कराने का प्रयास करता है, तदपि जानकारी विपण्यता, विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्तता और अनतिक्रमण की सीमांकन वारंटियों सहित किसी भी प्रकार की वारंटी, अभिव्यक्त अथवा अभिप्रेत, के बिना "जैसी है" आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। एशियाई विकास बैंक ऐसी जानकारी की सटीकता अथवा पूर्णता के संबंध में विनिर्दिष्ट रूप से कोई वारंटी अथवा अभिवेदन प्रस्तुत नहीं करता है।